भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.gov.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र सं.CIRCULAR.No.10/2019

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 04.10.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee- Minutes of the meeting held on 04.10.2019 - Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 04.10.2019 को 3.30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचीन के सभा गृह में आयोजित की गई। श्री मोहम्मद युसुफ़, भा. रा. से., आयुक्त महोदय ने बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 3.30 pm on 04.10.2019 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Mohd. Yousaf, IRS, Commissioner, chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। श्री/श्रीमती/सुश्री
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. मोहम्मद युसुफ, भा. रा. से., आयुक्त Mohd Yousaf, IRS, Commissioner
2. डॉ. जे. हरीश, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त Dr. J. Harish, IRS, Joint Commissioner
3. एम. वसंतागेशन, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त M. Vasanthagesan, IRS, Joint Commissioner
4. डॉ. राजी एन एस. भा. रा. से., उपआयुक्त Dr.Raji N S, IRS,Deputy Commissioner
5. साबू सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
6. फिलिप सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
7. जोसेफ सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
8. भुवनचंद्रन पी, वैज्ञानिक 'ई', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
9. बैजू डेनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
10. प्रशांत के सी एस , सीमाशुल्क अधीक्षक Prasanth K.C.S, Superintendent of Customs, Authorized Officer, CSEZ.
11. ई वी रामन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त, E V Sivaraman, IRS. Assistant Commissioner

व्यापार तथा व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री/ श्री
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. वी. पी. ज़कारिया, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, V.P.Zakariya, Cochin Port Trust
2. जे. एस. मंजूनाथ, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, J.S. Manjunath, Cochin Port Trust
3. टी. चंद्रशेखरन, कॅयर बोर्ड T. Chandrasekharan , Coir Board
4. एस एस सिंधु, वनस्पति संगरोध S S Sidhu, Plant Quarantine
5. बिलू वर्गीज, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, Bilu Varghese, Cochin International Airport
6. अब्राहम फिलिप, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री Abraham Phillip, Indian Chamber of Commerce & Industry
7. राजीव एम सी, एफ आई ई ओ, Rajeev M C, FIEO
8. एन एन मेनन, ट्रेड ट्रैक N N Menon, Trade Track
9. दिपिन कोय्यथ, आई जी टी पी एल Dipin Koyyath, IGTPL
10. कुर्विला जेवियर ,Kurvilla Xavier, IGTPL
11. बिजू आर, सी एफ एस, पेट्टा Biju R, CFS, Pettah
12. वी वीरा राघव, सी एफ एस, जी डी के एल V Veera Raghav, CFS, GDKL
13. टी के बिजू, सी एफ एस , सी पी टी T K Biju, CFS, CPT
14. ए ए फर्नांडिज़, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर्स असोसिएशन A A Fernandez, Cochin Customs Brokers Association.
15. एलन जोस, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर्स असोसिएशन, Alan Jose, Cochin Customs Brokers Association.
16. पी. विनोद कुमार, सहायक महाप्रबंधक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक P. Vinod Kumar, Asst. General Manager, Reserve Bank of India
17. बी एन झा, मसाला बोर्ड, कोच्ची B N Jha, Spice Board Kochi.
18. डॉ. जेस्टो, एफएसएसएआई , Dr. Jesto, FSSAI.
19. रज्जो पीटर, कॉनकॉर इंडिया लिमिटेड, Rejo Peter, Concor India Ltd.
20. अबे जोसेफ फिलिप, सीएफएस, एम आई वी लॉजिस्टिक्स, Abe Joseph Philip, CFS, MIV Logistics.
21. एम. वर्गीस, कोचीन स्टीमर एजेंट एसोसिएशन, M. Varghese, Cochin Steamer Agent Association.
22. एलेक्स के. निनन, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, Alex K. Ninan, Sea Food Exporters Association of India.
23. एस. रामकिशन, सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया।S. Ramakishan, Sea Food Exporters Association of India.
24. होमी श्रीधरन, भारतीय कॉयर निर्यातक संघ का महासंघ ,Homy Sridharan, Federation of Indian Coir Exporters Association.

अध्यक्ष ने बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त तथा उसमें उठाए गए बिंदुओं के संबंध में की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई, तत्पश्चात इस बैठक के लिए नए मुद्दें उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. Thereafter the minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken was informed to the gathering. Thereafter fresh points were taken up for this meeting.

चर्चा हेतु नए मुद्दें *FRESH POINTS FOR DISCUSSION.*

स्टीमर एजेंट असोसिएशन के द्वारा उठाए गए मुद्दें:

1. **Points raised by The Steamer Agents Association are:**

"Filing the Export Container Documentation BCG during weekends"

चर्चा नीचे के रूप में की गई है :

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बीसीजी का पंजीकरण सीमाशुल्क गृह के निवारक अनुभाग में किया जाता है। सप्ताहांत / छुट्टियों पर नियंत्रण कक्ष अधिकारी निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बी सी जी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है और बी सी जी प्राप्त होने पर अधिकारी निवारक अनुभाग में बनाए कंटेनर रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करता है। नियंत्रण कक्ष अधिकारी सप्ताहांत / छुट्टियों सहित सभी

दिनों पर उपलब्ध है, स्टीमर एजेंटों एसोसिएशन द्वारा उठाए गए बिंदु जो वे सप्ताहांत पर बी सी जी दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं, वह सही नहीं प्रतीत होता है।

अध्यक्ष ने कहा कि स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि इस बैठक के लिए नहीं आए हैं अतः यह मुद्दा नहीं उठाया गया है ।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

हितधारकों को यह सूचित किया गया था कि चर्चा के लिए विषय बिंदु को प्रायोजक की अनुपस्थिति में पिछली बैठक में लिया गया था।

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बीसीजी का पंजीकरण सीमाशुल्क गृह के निवारक अनुभाग में किया जाता है। सप्ताहांत / छुट्टियों पर नियंत्रण कक्ष अधिकारी निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बीसीजी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है और बीसीजी प्राप्त होने पर अधिकारी निवारक अनुभाग में रखे गए कंटेनर रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करता है। नियंत्रण कक्ष अधिकारी सप्ताहांत / छुट्टियों सहित सभी दिनों पर उपलब्ध है, स्टीमर एजेंटों एसोसिएशन द्वारा उठाए गए बिंदु जो वे सप्ताहांत पर बी सी जी दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं, वह सही नहीं दिखाई देता है।

अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वर्तमान में हितधारकों के सामने कोई प्रक्रियागत कठिनाइयाँ नहीं हैं, हालाँकि भविष्य में यदि आवश्यकता हुई तो इसे सरल बनाने के लिए कुछ और बदलाव किए जाएंगे।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

It was informed to the stakeholders that the subject point for discussion was considered in the previous meeting in absentia of the sponsorer.

The Chair informed the members that, the registration of export coastal container documentation BCG is done in the Preventive Section of the Custom House. On weekends / holidays the control room officer is authorised to receive the export coastal container documentation BCG and on receipt of the BCG the officer makes necessary entry in the container register maintained in the Preventive section. The Control Room officer is available on all days including weekends /holidays, the point raised by the steamer agents association that they are not able to file BCG on weekends does not appear to be correct.

The Chair also informed that there are no procedural difficulties faced by the stakeholders presently, however in future if required some more changes would be undertaken for making it simpler.

(For Action: Point dropped)

2. <u>ट्रेड ट्रैक द्वारा उठाया गया मुद्दा निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है Points raised by TRADE TRACK are reproduced as below:</u>

चूंकि प्राधिकरण के रिवर्स पर यूटिलाईज़ेशन की रिकॉर्डिंग समाप्त कर दी गई है (डेबिट शीट), जे डी जी एफ टी अपने ई ओ डी सी एप्लीकेशन को संसाधित करते समय सीमाशुल्क से एक यूटिलाईज़ेशन प्रमाणपत्र मांग रहा है, आयात के वास्तविक मूल्य का पता लगाने के लिए (अग्रिम प्राधिकरण के मामले में ईपीसीजी और सीआईएफ मूल्य के लिए बचाया गया शुल्क)। पहले इस तरह के यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र सीमाशुल्क द्वारा प्राधिकृत धारक के अनुरोध पर जारी किए गए थे। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान में इस तरह के यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हैं और संबंधित प्राधिकरणों के केवल खाता प्रिंटआउट जारी किए गए हैं। प्राधिकरण धारक का कहना है कि खाता प्रिंटआउट में ई पी सी जी प्राधिकरण के लिए वास्तविक शुल्क बचत राशि शामिल नहीं है लेकिन वे केवल सी आई एफ मूल्य का संकेत देते हैं। जे डी जी एफ टी को यूटिलाइजेशन प्रमाणपत्र में शुल्क बचत राशि दिखाई जाने की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि यहां तक कि खाता प्रति भी केवल जे डी जी एफ टी से सीधे प्राप्त सीमाशुल्क के विरुद्ध जारी की जाती है। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी क्योंकि जे डी जी एफ टी ई ओ डी सी के लिए हमारे आवेदन पर यूटिलाईज़ेशन प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध करेगा तथा वास्तविक रूप से शुल्क बचत / उपयोग की गई राशि का पता लगाने के बाद ही और ई ओ डी सी सही ढंग से तैयार किया जा सकता है । ऐसा लगता है कि कई मामलों में प्राधिकरण धारक के लिए अपने संबंधित बिल ऑफ एंट्री से वास्तविक शुल्क बचत राशि को समझना संभव नहीं है।

Since the recording of utilization on the reverse of the Authorisation has been discontinued (debit sheet), JDGFT is asking for a Utilisation Certificate from Customs at the time of processing their EODC Applications, to ascertain the **actual value of imports (duty saved in the case of EPCG and CIF value, in the case of Advance Authorisation).** Such Utilisation Certificates were earlier issued by Customs on the request of the Authorisation Holder. However, it appears that currently such Utilisation Certificates are not issued and only Ledger Printouts of the relevant Authorisations are issued. The Authorisation Holder say that the Ledger Printout do not contain the **actual duty saved** amount for EPCG Authorisation but they indicate only the CIF value. JDGFT requires the duty saved amount to be reflected in the Utilisation Certificate.

Further, it appears that even the Ledger copy is issued only against a letter received from JDGFT directly to Customs. This will be a time consuming exercise as JDGFT will request for Utilisation Certificate only on our application for EODC and EODC can accurately be prepared only after ascertaining the actual duty saved / utilized amount. It seems that in many cases it is not possible for the Authorisation Holder to decipher the actual duty saved amount from their respective Bill of Entries.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है **Minutes of discussion are as below:**</u>

ट्रेड ट्रैक का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री एन. एन. मेनन ने अध्यक्ष को सूचित किया कि उनके मुवक्किलों को स्व-मूल्यांकन अवधि के बाद माल की बचत राशि / सी आई एफ मूल्य के परिमाणीकरण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सहेजे गए वास्तविक मात्रा / मूल्य / शुल्क को प्राधिकरण के संबंध में उपयोग किया जाता है, जो सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा स्कैल्प पर समर्थित नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि डी जी एफ टी प्राधिकरण ई ओ डी सी के उद्देश्य के लिए स्व-प्रमाणित राशि स्वीकार नहीं कर रहे हैं और **'सीमाशुल्क समर्थन'** मूल्य पर जोर दे रहे हैं। अध्यक्ष के लिए यह प्रस्तुत किया गया था कि बीई के प्रिंट आउट भी सही तस्वीर प्रदान नहीं करते हैं। । अध्यक्ष को यह प्रस्तुत किया गया था ताकि यूटिलाईज़ेशन प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार किया जा सके जैसा कि पूर्व में किया जा रहा था।

वैज्ञानिक एन आई सी श्री भुवनचन्द्रन ने बताया कि संदेश सीधे आई सी ई एस प्रणाली से डी जी एफ टी सर्वर को प्रेषित किए जाते हैं, इसलिए डेटा उन्हें सिस्टम से उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष ने श्री मेनन को सूचित किया कि वह इस मामले को देखेंगे और कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करेंगे।

Shri N N Menon representing Trade Track informed the chair that his clients were facing difficulty in the quantification of duty saved amount / CIF value of the goods post the self assessment period. The actual quantity/value/duty saved which is utilized in respect of the authorisation are not endorsed by the Customs Authorities on the scrips. It was submitted that the DGFT Authorities are not accepting the self certified amount for the purpose of EODC and are insisting on the **'Customs Endorsed'** value.It was submitted to the chair that the print out on the BE's also do not provide the correct picture. It was submitted to the chair to consider issuing the Utilisation certificate as was being done in the past.

Shri Bhuvancharan, Scientist NIC, informed that the messages are directly transmitted to DGFT server from the ICES system, hence the data would be available to them from the system.

The Chair informed Shri Menon that he would look into the matter and evolve suitable mechanism to remove the difficulties

3. **एफ ई आई ओ द्वारा उठाया गया मुद्दा निम्नानुसार प्रस्तुत किया जाता है Points raised by FIEO are reproduced as below**

"सभी कंटेनर बिना किसी कारण को विनिर्दिष्ट किए आर एम एस योग्य होंगे।"

"All containers subject to RMS without assigning any reason"

यह कंटेनरों के निरंतर आर एम एस के संबंध में 20 सितंबर 2019 को सीमाशुल्क के सम्माननीय आयुक्त श्री मोहम्मद यूसुफ आई आर एस के लिए किए गए मौखिक प्रतिनिधित्व के क्रम में है, । हमारी कंपनी, इंडस कंस्यूमर प्रोडक्ट्स पी ओ लिमिटेड, आई ई सी 1004011814, को इन कंटेनरों का निरीक्षण करते समय न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही कोई चूक हुई है। हमें भारत सरकार द्वारा सिंगल स्टार एक्सपोर्ट हाउस के रूप में अनुमोदित किया गया है।

मैं समझता हूं कि उद्योग से सभी निर्यातक आर एम एस के अधीन नहीं हैं और हमें निरंतर आर एम एस की प्रणाली के तहत रखने के कारण के बारे में सूचित नहीं किया जा रहा है। प्रतिस्पर्धा के कारण हम कम मार्जिन के साथ काम करते हैं और ऑपरेशन के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च हमें उन लोगों के लिए कम प्रतिस्पर्धी बनाता है जो आर एम एस के लिए पार्टी नहीं हैं और इसलिए, माल की लागत के हिस्से के रूप में इसे शामिल करना उचित नहीं होगा। बिना किसी तथ्य के आर एम एस व्यय हमारे मार्जिन को भी नष्ट कर देगा।

This is in continuation to the oral representation we have made to the respectable Commissioner of Customs. Mr. Mohd.Yousaf IRS, on 20th Sept 2019, regarding the continuous RMS of Containers. Our company, Indus Consumer Products PO Ltd, IEC 1004011814, has not been blacklisted nor found to have any default while inspecting these containers. We have been approved as a Single Star Export House by the Government of India.

I understand that all the exporters from the industry are not being subject to RMS and we were not being informed of the reason of placing us under the system of continuous RMS. Owing to competition we work with low margin and any additional expenses other than operation would make us less competitive to those who .are not party to RMS. And so, it would not be advisable to include this as part of cost of goods. RMS expense since not factored would erode our margin too.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, अगर सिस्टम "ओपन एण्ड इक्ज़ामिनेशन" के लिए शिपिंग बिल उठाता है, तो कार्गो को आर एम एस सिस्टम द्वारा निर्धारित के रूप में जांचना होगा। हालाँकि, किसी भी निर्यातक के मामले में, जहाँ उनके पास सेल्फ सीलिंग की अनुमति है और सिस्टम लगातार परीक्षा के लिए अपने कार्गो को उठा रहा है, विषय निर्यातक परीक्षा के लिए उठाए गए कार्गो के आँकड़ों के साथ उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि चूंकि सिस्टम को सभी भारत के परिप्रेक्ष्य के साथ कुछ अंकगणित के साथ डिज़ाइन किया गया है, इसलिए वे इस विषय के लिए बोर्ड / आर एम डी से स्पष्टीकरण मांगेंगे। बोर्ड / आर एम डी जोखिम के आधार पर अनुपालन करने वाले निर्यातकों के लिए इस तरह की कठोर परीक्षा को कम करने के लिए कुछ उपाय / सुरक्षा की पहल कर सकता है। वह जांच करेगा कि क्या प्रणाली के निर्देशों को ओवरराइड करने के लिए अपने विवेक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं कि मौजूदा मुद्दे दावेदार की प्रामाणिकता के आधार पर।

The Chair informed the members that, if the system picks up the Shipping Bill for "open and examination" the cargo has to examined as prescribed by the RMS system. However in the case of any exporter where the they have permission for self sealing and the system is continuously picking up their cargo for examination, the subject exporter can make a representation to him along with the statistics of the cargo picked up for examination. He assured the members that since system is designed with certain algorithm with all India perspective, he would seek clarification from the Board/RMD for the subject issue. The Board /RMD may initiate some measures/ safeguard to reduce such rigorous examination for the compliant exporters depending on the Risk. He will check up whether can use his discretionary powers to override the system instructions

to sort out the issue on a case by case basis depending on the genuineness of the claimant.

4. **<u>एफ आई सी ई ए द्वारा उठाए गए मुद्दें निम्नानुसार है *Points raised by FICEA* are reproduced as below:</u>**

कोचीन पोर्ट में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जून 2019 के अंत से निर्यात के लिए स्वयं सील किए गए कंटेनरों को लगातार खोला और निरीक्षण किया जा रहा है। इससे कंटेनर में संबंधित जहाजों पर शिपमेंट में चूक हुई, जिससे शिपमेंट में देरी हुई और विदेशी खरीदारों से भारी जुर्माना वसूला गया। इस अवधि में जहाँ देश के लिए आर्थिक संकट से उबरना कठिन है, निर्यात में देरी से देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा की आमद में देरी होगी।

The self sealed containers for exports are being continuously opened and inspected by the customs officials at Cochin Port since end June 2019. This has lead to containers missing shipment on the respective vessels there by delay in shipments resulting in huge penalties from the overseas buyers. In this period were the country is hard pressed to overcome the economic crisis, delay in exports will delay the inflow of valuable FOREX to the country.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, यह वही मामला है जिस पर पहले बैठक में चर्चा हो चुकी है, और हितधारकों को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को सकारात्मक रूप से देखेंगे।

The chair informed the members that, this is the same matter which has been discussed earlier in the meeting, and assured the stakeholders that he would look into the matter positively.

5. **<u>भारतीय सी फूड एक्सपोर्टर असोसिएशन द्वारा उठाए गए मुद्दें अधोलिखित है *Points raised by The Seafood Exporters Association of India* are reproduced as below:</u>**

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे कुछ सदस्यों की ड्यूटी ड्राफ़्ट अगस्त और सितंबर के महीनों में किए गए शिपमेंट और यहां तक कि जुलाई में किए गए युगल शिपमेंट के लिए प्राप्त नहीं हुई है। हम आपके संदर्भ के लिए लंबित कमियों का विवरण संलग्न कर रहे हैं।

We wish to inform you that the duty drawback of some of our members is not received from the customs for the shipments done in the months of August and September and even for couple of shipments done in July. We are attaching the details of pending drawback for your reference.

DRAWBACK PENDING DETAILS				
BABY MARINE INTERNATIONAL (2019-20)				
I EC-1092007431				SHRIMPS
SL.NO.	S.B.NO.	S.B.DATE	S.FOB RS.	DRAWBACK RS.(2.7%)
Iesi m et. Lf) up r,	5941242	31.07.2019	8512912	226347
	6277188	16.08.2019	7018199	189491
	6352527	20.08.2019	9377652	253197
	6766422	06.09.2019	5662240	152880
	7057237	20.09.2019	3903938	105019
	7112561	23.09.2019	9590362	258940
	7222490	27.09.2019	5363485	144715
		TOTAL=	49428787	1330589

IEC-0793018081 SHRIMPS

S.B.NO.	S.B.DATE	S.FOB RS.	DRAWBACKRS.(2.7%)
5517344	12.07.201	9554220	257964
6059428	05.08.201	8892660	240102
6272350	16.08.201	6287545	169764
6382095	21.08.201	10557575	285055
6421702	22.08.201	9457623	255356
7196720	26.09.201	9390600	253546
7294844	30.09.201	8061675	217665
	TOTAL=	62201898	1679452

SL No.	SHIPPING BILL No. & DATE	DRAWBACK AMOUNT (Rs.)
	128.08.2019	
	228.08.2019	**115,158.00**
	6550472 Dtd.	
	6554722 Dtd.	**99,292.00**
	TOTAL	**214,450.00**

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, वे सक्रिय रूप से बिंदुओं पर विचार करेंगे और उन्होंने हितधारकों को मामले को देखने का आश्वासन दिया और हितधारकों को बैंक में संबद्ध शाखा के साथ-साथ प्रणाली में अपने खाते के विवरण को अपडेट करने का सुझाव दिया।

सी फूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, श्री एलेक्स के. निनन ने,अध्यक्ष की अनुमति के साथ कहा कि, जब स्वयं सील कंटेनर आई जी टी पी एल में निर्यात के उद्देश्य से पहुंचते हैं, तो परीक्षा के लिए आर एम एस सिस्टम कंटेनर को उठाते समय बेतरतीब ढंग से शिपिंग बिलों के पंजीकरण होता है। ऐसे में निर्यातक को उस कंटेनर को वापस परीक्षा के लिए सी एफ एस में ले जाना पड़ता है।आई जी टी पी एल में कोई प्लगिंग या कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे हर कस्टोडियन के पास होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि रविवार या अन्य सरकारी छुट्टियों पर, सी एफ एस बंद हो जाती हैं, ऐसे में निर्यातकों को शिपमेंट में देरी, अतिरिक्त खर्च, भोजन के दूषित होने आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अध्यक्ष ने डी पी वर्ल्ड के प्रतिनिधि से तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि श्री कुरुविला ने स्वीकार किया कि वर्तमान में आई जी टी पी एल क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज नहीं हैं। अध्यक्ष ने प्रतिनिधि को मामले को सक्रिय रूप से देखने के लिए निर्देशित किया और यह भी कहा कि एक संरक्षक होने के नाते, यह उनका कर्तव्य है कि विशेष रूप से कोचीन पोर्ट जो देश से समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात की एक बड़ी मात्रा संभालती है, इसलिए निर्यातकों और आयातकों को ऐसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं ।

श्री ज़ेवियर कुर्विला, प्रतिनिधि आई जी टी पी एल ने कहा है कि कंपनी उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए वित्तीय देयता को लागू करेगी इसलिए प्रबंधन में उच्च अधिकारियों को आयुक्त के निर्देश से अवगत कराएगी।

The chair has informed the members that, he will consider the points actively and assured the stakeholders to look into the matter and also suggested the stakeholders to update their account details in the system as well as concern branch of Bank.

Shri Alex K. Ninan, representative of Sea Food Exporters Association of India, with the permission of Chair submitted that, when the self sealed containers reach IGTPL for the purpose of Export, on registration of Shipping Bills randomly at times the RMS system picks the container for examination. In such a case the Exporter has to take that container back to CFS for Examination. There are no plugging or cold storage warehouse facility available in IGTPL which every custodians are supposed to have. They have also stated that on Sunday or other Govt. holidays, the CFS are closed, in such a case the exporters have to face problems of delay in shipments, extra expenses, contamination of food items etc.

The Chair requested the DP world representative to inform the factual position. The representative Shri Kuruvila accepted that there are no cold storage presently in IGTPL area. The chair directed the Representative to look in to the matter actively and also opined that being a custodian, it is their duty to provide such basic facilities to the Exporters and Importers especially since the Cochin port handles a major volume of export of sea food items from the country.

Shri Xavier Kurvilla, representative IGTPL has stated that the company would incur financial liability for providing the said facility therefore would convey the Commissioners instruction to higher authorities in the management .

कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर संघ के द्वारा उठाए गए मुद्दें नीचे दिए गए हैं:

6. Points raised by The Cochin Customs Broker's Association are reproduced as below:

Point (i). शिपिंग बिल का रिट्रांसमिशन Shipping Bill re-transmission

जब ई जी एम शिपिंग लाइनों द्वारा दायर किए जाते हैं, तो शिपिंग बिल स्वचालित रूप से डी जी एफ टी सर्वर को प्रेषित किए जाएंगे। कुछ उदाहरणों में विवरण प्रेषित नहीं किया जाएगा और डी जी एफ टी सर्वर में प्रतिबिंबित नहीं होगा, जो निर्यात लाभ प्राप्त करने में देरी का कारण बनता है।

When EGMs are filed by the shipping lines, the shipping bills will be automatically transmitted to DGFT server. In some instances the details are not be transmitted and do not reflect in the DGFT server, which causes delay in getting export benefits.

सुझाव Suggestion:

गैर-प्रेषित शिपिंग बिल का विवरण सिस्टम से सप्ताह में कम से कम दो बार प्राप्त किया जा सकता है और एक शिकायत के साथ सीमा शुल्क से संपर्क करने के लिए निर्यातक / सीमा शुल्क ब्रोकर के लिए जगह दिए बिना फिर से प्रेषित किया जा सकता है।

The details of non-transmitted shipping bill details may be obtained from the system at-least twice in a week and re-transmit without giving room for the Exporter / Customs Broker to approach the Customs with a complaint.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

श्री भुवन चंद्रन, वैज्ञानिक एन आई सी, ने सदस्यों को सूचित किया कि डेटा सीधे आई सी ई एस सर्वर से डी जी एफ टी सर्वर को प्रेषित किया जा रहा है और सर्वर इंटरफ़ेस में के कारण समस्या हो सकती है। उन्होंने हितधारकों को सलाह दी कि वे डी जी एफ टी और सीमाशुल्क आई सी ई जी ए टी ई वेबसाइट को सत्यापित करें, जो वर्तमान कतार को दर्शाती है। यह केवल उन मामलों में है जहाँ डी जी एफ टी द्वारा पुनःप्राप्ति के लिए अनुरोध किया जाता है, और सभी मामलों में यह नहीं किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष ने हितधारकों से अनुरोध किया कि वे श्री भुवनचंद्रन द्वारा सलाह के आलोक में अनुरोध का पुन: परीक्षण करें।

Shri Bhuvan Chadran, Scientist NIC, informed the members that the data is being directly transmitted to the DGFT server from the ICES server and the issue could be the due the problems in the server interface. He advised the stake holders to verify the DGFT and customs ICEGATE website which would reflect the current queue.It is only in the cases where the DGFT requests for retransmission ,it is to be done and not in all cases.

The chair requested the stake holders to recheck the request in the light of the advise by Shri Bhuvanachandran.

(ii) आर एम एस/ परीक्षण द्वारा निकासी किए गए बिल ऑफ एंट्री जो ए. ओ. द्वारा निर्धारित नहीं किए गए थे परंतु सी एस डी द्वारा संदेहास्पद रूप से स्कैन किए गए उनका पुनर्मूल्यांकन

Re-assessment of Bills of Entry released by RMS / Examination not prescribed by A.O, but scanned suspicious by CSD

आर एम एस के तहत या ए.ओ. द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र, जिसमें परीक्षा निर्धारित नहीं है, लेकिन सी एस डी द्वारा संदिग्ध को चिह्नित किया गया है, को अभी भी वापस बुलाने और परीक्षा के लिए खोलने से पहले फिर से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इससे निवास समय और लेनदेन की लागत बढ़ रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सरकार की नीति के खिलाफ है।

The Bill of Entry released under RMS or by the A.O in which the examination is not prescribed but marked suspicious by the CSD are still required to be recalled and re-assessed before opening for examination. This is increasing the dwell time and transaction cost and against the Government policy of Ease of Doing Business.

सुझाव Suggestion:

यदि सभी मामलों में संदिग्ध पाए गए कंटेनरों की जांच बिल को दोबारा दर्ज किए बिना की जा सकती है और निरीक्षण के दौरान फिर से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता होने पर कोई भी समस्या होने पर ही कॉल किया जा सकता है। सार्व. सू.सं 39/2018 दिनांक 26.11.2018 में संशोधन किया जा सकता है।

If containers marked suspicious in all the cases may be examined without re-calling the Bill of Entry and re-calling may be done only if there is any issues noted while inspection which require re-assessment. - PN No. 39/2018 dated 26.11.2018 may be amended suitably.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, वे इस बिंदु पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और सार्व. सू. संख्या 39/2018 की जांच करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक सूचना को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

The chair has informed the members that, he will consider the point positively and examine the PN No. 39/2018. He also assured that if required the PN will be modified accordingly.

(iii) डी पी डी कंटेनर को संदेहास्पद चिन्हित करना DPD Containers marked suspicious

डी पी डी सक्षम अगर स्कैन किए जाने पर संदिग्ध पाए जाए तो वर्तमान सार्व. सू. के अनुसार उन्हें कोंकर सी एफ एस के पास भेजा जाएं परंतु यदि कोंकर सी एफ एस के पास पर्याप्त वेयर हाउस स्थल या उपकरण नहीं है जो कंटेनरों की समय पर डी-स्टफिंग को संभाल सकें।

DPD enabled containers if scanned suspicious required to be moved to CONCOR CFS as per the present P.N. But CONCOR CFS does not have enough warehouse space or equipment to handle timely de-stuffing of containers.

सुझाव Suggestion:

हमें परीक्षा के लिए किसी भी अन्य सी एफ एस का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है जहां निरीक्षण उनके जमाव की स्थिति के आधार पर तुरंत किया जा सकता है। सार्व. सू. संख्या 39/2018 दिनांक 26.11.2018 में उचित संशोधन किया जा सकता है।

We may be allowed to use any another CFS for examination wherever the inspection can be done immediately based on their congestion status. PN No. 39/2018 dated 26.11.2018 may be amended suitably.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, वह इस बिंदु पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे और हितधारकों को आश्वासन देंगे कि यदि इसे सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता है। तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

The chair has informed the members that, he will consider the point actively and assured the stakeholders that if it required the PN. Will be modified accordingly.

(iv) सी एफ एस/ डी पी डी को जाने वाले कंटेनरों की अनिवार्य स्कैनिंग Compulsory Scanning of containers moved to CFS / DPD

अनुदेश पत्र के अनुसार F.No.S31 / 182/2018 CSD Cus. दिनांक 11.03.2019 आई सी टी टी से निकाले गए सभी कंटेनरों को दूसरे शनिवार और रविवार को स्कैन किया जाना है। बोर्ड के निर्देशानुसार, कोचीन एक 24x7 ऑपरेशनल पोर्ट है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस दिन कंटेनर को आई सी टी टी से स्थानांतरित किया गया।

As per the instruction vide letter F.No.S31/182/2018 CSD Cus. dated 11.03.2019. all the containers cleared out of ICTT are to be scanned on second Saturdays and Sundays. As per the direction from the Board, Cochin is a 24x7

operational Port and doesn't make any difference as to which day the containers are moved from ICTT.

सुझाव Suggestion:

निर्देश को वापस लें और केवल आर एम डी द्वारा चयनित कंटेनरों को स्कैन करें।

Withdraw the instruction and only scan the containers selected by RMD

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, वह इस बिंदु पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे और यदि आवश्यक हो तो तदनुसार संशोधन किया जाएगा।

The Chair informed the members that, he will consider the point actively and if required modification would be made accordingly.

(v) सी एस डी द्वारा कंटेनरों को संदिग्ध इंगित करना Marking Containers as suspicious by CSD

हमारे अधिकांश सदस्य बिना किसी कारण के संदिग्ध के रूप में चिह्नित किए गए कंटेनरों की उच्च दर के बारे में शिकायत कर रहे हैं। इससे रु 20000/- प्रति कंटेनर के लिए लेन-देन की लागत में भारी वृद्धि होती है और 3 से 5 दिनों के लिए प्रति व्यक्ति का समय होता है। उपरोक्त लागत के अलावा, शिपिंग लाइनों और सी एफ एस के लिए देय कंटेनर निरोध प्रभार / जमीन के किराए में भारी वृद्धि होगी।

Most of our members are complaining about the high rate of containers marked as suspicious without mentioning any reason. This causes heavy increase in the transaction cost to the tune of Rs.20000/- per container and the dwell time to the tune of 3 to 5 days. Apart from the above cost, there will be humongous increase in the container detention charges / ground rent payable to the shipping lines and CFSs.

सुझाव Suggestion:

कंटेनर को सी एस डी छोड़ने से पहले मूवमेंट फॉर्म पर सी एस डी अधिकारी द्वारा संदिग्ध के रूप में कंटेनर को चिह्नित करने के कारणों को लिखा जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिकारी कंटेनर को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने से पहले स्कैनर में उपलब्ध विभिन्न कोण / मोड का चयन कर सकते हैं। आई जी एम में विवरण कंटेनर को स्कैन करते समय और संदिग्ध के रूप में अनावश्यक अंकन से बचने के लिए भी संदर्भित किया जा सकता है।

Reasons for marking the container as suspicious should be written by the CSD officer on the Movement Form before the container leaves CSD. Also the officer may choose different angles/ modes available in the scanner prior to marking the container as suspicious. The description in the IGM also may be referred to while scanning the container and to avoid unnecessary marking as suspicious.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

श्री जे. हरीश, संयुक्त आयुक्त ने सदस्यों को सूचित किया है कि एक बार सी एस डी ने कंटेनरों को चिह्नित किया है क्योंकि यह स्क्रीनिंग और अनुमोदन के लिए सहायक आयुक्त, उप आयुक्त और संयुक्त आयुक्त के माध्यम से जाता है। उन्होंने खुद परीक्षा से चुने गए कुछ कंटेनरों को छूट दी थी। उन्होंने यह भी

बताया है कि, विभाग ने अधिकारियों को समय-समय पर विशेषज्ञता प्राप्त करने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

Shri J. Harish, JC has informed the members that, that once CSD marked the containers as suspicious it goes through to AC, DC and JC for screening and approval. That some of such containers marked have been exempted on re-verification. He has also informed that, the department has sensitized the officers and conducting some training programmes time to time to get expertise and facilitate the trade.

(For Action: Point dropped)

(vi) <u>सी एस डी द्वारा संदिग्ध बताए गए कंटेनरों का परीक्षण Examination of Containers marked suspicious by CSD</u>

पी एन सं 39/2018 दिनांक 26.11.2018 के अनुसार, सी एस डी द्वारा संदिग्ध चिन्हित किए गए कंटेनरों को 100% डी-स्टफिंग और सी एफ एस में 100% परीक्षा डॉक ऑफिसर और खाली कंटेनर की तस्वीरों के साथ स्पष्ट दृश्यता के साथ होना चाहिए। डिब्बा संख्या और सीबी को यह सुनिश्चित करना है कि कंटेनर की स्कैन की गई छवि के साथ फोटो को डॉकेट में रखा जाए। यह व्यापार के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का कारण बन रहा है क्योंकि ग्लास, पी वी सी प्रोफाइल, पी वी सी फोम बोर्ड, टिशू पेपर और ऐसे ही अन्य कार्गो से कार्गो को नुकसान की संभावना है। यहां तक कि ऐसे मामले भी हैं जहां 100% कार्गो को सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता के अनुपालन के लिए कंटेनर को खोलते समय पूरी तरह से जांच के लिए दिखाई देता है। यह फिर से आयातक के लिए अपूरणीय वित्तीय नुकसान का कारण बन रहा है और ड्वेल टाईम बढ़ा रहा है। यह फिर से कोचीन से पड़ोसी बंदरगाहों तक कार्गो के मोड़ने का कारण बनता है।

As per the PN No. 39/2018 dated 26.11.2018, the containers marked suspicious by the CSD are to be 100% de-stuffing and 100% examination at CFS by the Docks Officer and the photographs of the empty container with clear visibility of container no. and CB has to ensure that the photos are kept in the docket along with the scanned image of the container. This is causing unnecessary hardships to the trade as there are chances for damage of cargoes like Glass, PVC profiles, PVC foam boards, Tissue paper and such similar cargoes. There are even cases where the 100% cargo is visible for examination while opening the container are de-stuffed in full to comply with the requirement of the Public Notice. This is again causing irreparable financial losses to the importer and increasing the dwell time. This again cause diversion of cargoes from Cochin to neighbouring Ports.

सुझाव Suggestion:

पी एन संख्या 39/2018 दिनांक 26.11.2018 को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है क्योंकि पड़ोसी बंदरगाहों में इस प्रकार के निरीक्षण नहीं हो रहे हैं।

PN No. 39/2018 dated 26.11.2018 may be modified suitably as these types of inspections are not happening in the neighbouring ports.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, वह इस बिंदु पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे और हितधारकों को आश्वासन देंगे कि यदि इसे सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता है। तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

The chair has informed the members that, he will consider the point actively and assured the stakeholders that if it required the PN. Will be modified accordingly.

(vii) लंबित शुल्क वापसी क्रेडिट Pending Drawback credits

निर्यातकों की कमियां पिछले दो महीनों से लंबित हैं क्योंकि स्थिति "स्क्रॉल इन" के लिए है। कुछ अन्य मामलों में यह देखा गया है कि स्क्रॉल संख्या उत्पन्न होने के बाद भी राशि निर्यातक के बैंक खाते में प्रतिबिंबित नहीं होती है। इस देरी के कारण निर्यातकों का कैशफ्लो प्रभावित हो रहा है और वे कस्टम ब्रोकर्स के बिलों को इसके कारण लंबित रख रहे हैं।

The drawback credits of exporters are pending since last two months as the status is "FOR SCROLLL IN". In some other cases it is noticed that even after the scroll no. is generated, the amount has not been reflecting in the bank account of the exporter. The exporters' cashflow is getting affected due to this delay and they are even keeping Customs Brokers bills pending due to this.

सुझाव Suggestion:

शिपिंग बिल की तारीख को अपडेट करना, जिस पर "स्क्रॉल इन" है और सीमाशुल्क वेबसाइट में की गई शुल्क वापसी को जारी करने से व्यापार को अपनी शुल्क वापसी की निकासी स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही वेबसाइट को दैनिक आधार पर अपडेट करने का अनुरोध करें।

Updating the date of Shipping Bills up to which the "Scroll in" and release of drawback done in the Customs Website will help the trade to understand their drawback clearance status. Also request to update the website on daily basis.

चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि विषय के मुद्दे पर पहले से ही चर्चा की गई है, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे और उन्होंने हितधारकों को भी इस मामले को विचार करने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष ने हितधारकों को सिस्टम में अपने खाते के विवरण को अपडेट करने के साथ-साथ संबंधित बैंक की खाता शाखा की पुष्टि करने की भी सलाह दी।

The chair has informed the members that the subject issue is already discussed, he assured them that he will consider all the points raised and also assured the stakeholders to look into the matter .The chair also advised the stakeholders to update their account details in the system as well as validate the account & branch details of bank concerned.

(viii) अधिकारियों की ड्यूटी में परिवर्तन Duty change of officials

जब एक ए.ओ. / ए सी छुट्टी पर होते हैं तो क्यू को बदलने में कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, जिससे देरी होती है। अगर मूल्य निरूपण अनुभाग के एक अधिकारी में परिवर्तन हो रहा है तो एक क्यू में बदलाव और लॉगिन विवरण के आवंटन में भी समस्याएं आती हैं।

When an A.O / AC is on leave, changing the queue will take at least 2-3 hours, which creates delays. There are issues also in changing queue and allocation of login details, if one official is changing in the appraising section.

सुझाव Suggestion:

ऐसी देरी से बचने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है।

Suitable arrangements may be made to avoid such delays.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, जब भी कोई ए.सी / एओ छुट्टी पर होता है तो एक संपर्क अधिकारी उपलब्ध होता है और संबद्ध ए सी / ए ओ की अनुपस्थिति में लिंक अधिकारी संबंधित कार्य का प्रभारी होता है।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

The chair informed the members that, whenever any AC/AO is on leave there is a link officer available and in the absence of the proper AC/AO the link officer is in-charge of the respective work.

(For Action: Point dropped)

(ix)) <u>हाई सी सेल्स - आई जी एम में संशोधन High Seas Sales – Amendment in the IGM</u>

हाई सी सेल्स के मामले में, कोचीन सीमाशुल्क द्वारा आई जी एम के संशोधन पर जोर दिया जा रहा है जो हमारी समझ से परेह है जब कि हालांकि इस संबंध में कोई परिपत्र / सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। आई जी एम मूल आयातक को माल पाने वाला दर्शाता है तथा और आई जी एम में संशोधन करके, मूल आयातक विवरण को आई जी एम से हटा दिया जाता है। यह विचार करें कि इस अभ्यास का पालन केवल कोचीन पोर्ट में किया जाता है जिससे ड्वेल टाईम 2 से 3 दिनों के बढ़ जाता है। क्लीयरेंस में इस देरी से शिपिंग लाइन डिटेंशन / पोर्ट ग्राउंड रेंट के प्रति लेन-देन की लागत में वृद्धि के कारण अन्य पोर्टों पर कार्गो का मार्ग परिवर्तन भी होता है।

In the case of High Sea Sales, Cochin Customs insisting on amending the IGM for reasons beyond our understanding even though there are no Circulars / Public Notices issued in this regard. The IGM is referring to the original Importer as Consignee and by amending the IGM, the original importer details are removed from the IGM. Understand that this practice is followed only in Cochin Port and creating increase in the dwell time to 2 to 3 days. This delay in clearance also cause diversion of cargo to other ports due to increase in transaction costs towards shipping line detention / port ground rent.

<u>सुझाव Suggestion:</u>

फील्ड फॉर्मेशनों द्वारा हाई सी सेल्स के लिए आई जी एम में संशोधन पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि मूल आयातक का विवरण, हाई सी सेल खरीदार का विवरण इत्यादि बिल ऑफ एंट्री में दर्ज किए गए हैं और सभी आवश्यक दस्तावेजों जिनमें हाई सी सेल समझौते, हाई सी सेल इन वॉईस तथा मूल रूप से माल पाने वाले के नाम से वाणिज्यिक चालान आदि ई-संचित में अपलोड किए गए हैं।

The amendment in the IGM for High Sea Sales not to be insisted by the field formations as the original importer's details, high sea sale buyer details etc. are mentioned in the Bill of Entry and all the necessary documents including High Sea Sale Agreement, High Sea Sale Invoice, Commercial Invoice in favour of the Original Consignee etc. are uploaded in E-Sanchit.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया है कि, वह अन्य पोर्टों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे।

संयुक्त आयुक्त श्री हरीश ने सदस्यों को सूचित किया कि उन्होंने मुंबई सीमाशुल्क गृह, चेन्नई सीमाशुल्क गृह और अन्य सीमाशुल्क इकाईयों द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस देखा हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सी बी आई सी द्वारा कोई निर्देश नहीं है।तथापि हाई सी सेल्स के संबंध में सीमाशुल्क गृहों ने अपनी नीतियां बनाई थीं। सार्वजनिक सूचनाओं के मध्य कुछ अंतर हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि, इस मामले पर उन हितधारकों के साथ चर्चा की जाएगी जो बिल ऑफ एंट्री के तेजी से प्रसंस्करण के साथ-साथ वैधानिक आवश्यकताओं के लिए हाई सी सेल्स की निगरानी करने में विभाग को असमर्थ कर सकते हैं।

(कार्रवाई हेतु उप आयुक्त (आयात तथा बांड)

The chair has informed the members that, he will look in to the procedures followed at other ports.

Shri Harish, Joint Commissioner, informed the members that he had seen the Public Notices issued by Mumbai Custom House, Chennai Custom House and other Customs formations. The individual Custom houses had formulated their own policies in regard to High Sea Sales. There are some differences among the Public Notices. He assured that, this matter would be discussed with the stakeholders which would enable a faster processing of the bill of entry as well as enable the department to monitor the High Sea Sales as per statutory requirements.

(For Acton: DC (I&B))

(x) <u>शिपिंग बिल और एंट्री के अंतिम प्रिंट आउट में सीमा शुल्क अधिकारियों के मैनुअल हस्ताक्षर की आवश्यकता Manual signature in final print out of Shipping Bill and Bill of Entry</u>

कोचीन में, शिपिंग बिल और एंट्री के अंतिम प्रिंट आउट में सीमा शुल्क अधिकारियों के मैनुअल हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, लेकिन बोर्ड के निर्देशों के अनुसार इस प्रक्रिया को अन्य सीमाशुल्क स्टेशनों द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया है।

In Cochin, the final print out Shipping Bill and Bill of Entry require manual signature of Customs officials, but this procedure has already been eliminated by other Customs stations as per the Board's instructions.

<u>सुझाव Suggestion:</u>

आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त निर्देश / सार्वजनिक सूचना जारी करके शिपिंग बिल और बिल ऑफ एंट्री में सीमा शुल्क अधिकारियों के मैनुअल हस्ताक्षर की आवश्यकता को पूरा करें।

Request you to do away with the requirement of manual signature of customs officials in the Shipping Bill and Bill of Entry by issuing suitable instructions / Public Notice.

<u>चर्चा का कार्यवृत्त अधोलिखित है Minutes of discussion are as below:</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, वे इस मुद्दे की जांच करेंगे और यदि आवश्यक हो तो तदनुसार आवश्यक संशोधन / संशोधन किए जाएंगे।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

The chair informed the members that, he would examine the issue and if required necessary amendments/modification will be made accordingly.

(For Action: Point dropped)

चूंकि चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह के वेबसाईट www.cochincustoms.nic.in. द्वारा दी जाएगी। यदि चर्चा के लिए कोई मुद्दे हो तो उन्हें भेजा जा सकता है। पूछताछ, यदि कोई हो तो उसे दूरभाष संख्या 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com इस ई -मेल पते पर की जा सकती है।

Since no other points were raised by the members for discussion, the Chair declared the meeting closed by thanking the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

This is issued with the approval of Commissioner of Customs (Chairman PTFC)

Sd/-

(जे. हरीश, Dr. J Harish)
संयुक्त आयुक्त, Joint Commissioner

F.No.S.65/17/2018–CCU-CUS
दिनांक Dated: 04.11.2019

//Attested//

(Baiju Daniel)
Appraising Officer

को प्रस्तुत Submitted to:

1. The Principal Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.

2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि:सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/ पी टी एफ सी के सभी सदस्य
Copy to: Joint Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ All members of PTFC
ई डी आई अनुभाग (सीमाशुल्क की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)EDI (for uploading on customs website)